वित्तीय समावेशन -भारतीय अनुभव

उषा थोरात

वित्तीय समावेशन – भारतीय अनुभव * उषा थोरात

वित्तीय समावेशन (एफआइ) के विषय पर यूके सरकार द्वारा दिये जा रहे एकाग्र ध्यान से हम भारत के लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। 2000 में मैंने ब्रिटिश बैंकर एसोशिएशन द्वारा वित्तीय सेवाओं की अत्यधिक पहुँच और साधारण बैंकिंग खाते की धारणा से संबंधित विषयों पर विस्तार से लिखी गयी रिपोर्ट पढी थी। वित्तीय समावेशन कार्य बल और वित्तीय समावेशन निधि के गठन से यह प्रकट होता है कि सरकार इस विषय को प्राथमिकता दे रही है। भारत और अन्य देशों में. विशेष रूप से हाशिए के लोगों की जीविका-विविधीकरण की कई परियोजनाओं में डीएफआइडी लगी हुई है। इस विषय पर डीएफआइडी की रुचि स्पष्टतः एफआइ के विकास-पहलु से संबंधित है। वित्तीय समावेशन में विभिन्न देशों के प्राधिकारियों की दिलचस्पी स्पष्टत: दर्शाती है कि जब वित्तीय बाजार विकसित हो रहे हों और तेजी से वैश्विक बनते जा रहे हों. ऐसे समय में यह चिंता का विषय है कि विश्व की जनसंख्या का एक बड़ा भाग औपचारिक भूगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार से अलग-थलग है। स्पष्टत: यह बाजार की विफलता है। इसलिए सरकारें और वित्तीय क्षेत्र के विनियामक ऐसी समर्थनकारी स्थितियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बाजार अधिक खुला, प्रतिस्पर्धी, सुलभ तथा समावेशी हो।

भारत में वित्तीय समावेशन का केन्द्र

लगभग पिछले पाँच वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.5 प्रतिशत से 9.0 प्रतिशत तक की सुस्थिर दर की वृद्धि हो रही है। उद्योग और सेवा क्षेत्र में अधिकतर वृद्धि हुई है। 2 प्रतिशत से कुछ अधिक दर पर कृषि का विकास हो रहा है। प्राथमिक और एसएमई (लघु और मझोले उद्यम) में विकास की संभावना बहुत अधिक है। इन क्षेत्रों में विकास को आगे बढ़ाने में बचत, उधार, प्रेषण और बीमा सेवा, जैसी सुलभ सेवाओं में ग्रामीण

^{*} जून 19, 2007 को लंदन, यूके, स्थित वाइटहाल प्लेस में एचएमटी-डीएफआइडी - वित्तीय समावेशन सम्मेलन 2007 में भारतीय रिजर्व बैंक की उप गर्वर्नर श्रीमती उषा थोरात द्वारा दिया गया भाषण।

वित्तीय समावेशन -भारतीय अनुभव

उषा थोरात


और असंगठित क्षेत्रों की अधिकांश जनता की सीमित पहुँच अवरोधक माना जाता है। विशेषतया उधार और बीमा जैसी सुलभ वित्तीय सेवाओं तक पहुँच जीविकाओं के अवसर बढ़ाती है और गरीबों को स्वावलंबी बनाने में सहायता करती है। इस प्रकार का सशक्तीकरण सामाजिक और राजनैतिक स्थिरता में सहायक होता है। इन लाभों के अलावा, एफआई सुस्पष्ट पहचान प्रदान करता है। उससे जमा बीमा जैसे बचत-सुरक्षा जाल और भुगतान प्रणाली तक पहुँच सुलभ होती है। इसलिए समावेशी संवृद्धि की प्राप्ति के लिए एफआई अत्यावश्यक माना जाता है जो देश में समग्र सतत संवृद्धि सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है।

भारत जैसे विकासशील देशों का एफआई के प्रति जो दृष्टिकोण है, वह विकसित देशों से जरा भिन्न है। विकसित देशों में इस विषय पर ध्यान बैंकों या औपचारिक भुगतान प्रणाली तक पहुँच न होनेवाली जनसंख्या के अपेक्षाकृत छोटे अंश पर केन्द्रित है, जबिक भारत में हम उन बहुसंख्यकों के बारे में विचार करते हैं जो इससे बाहर हैं।

दो प्रकार से एफआइ पर विचार किया जा सकता है। पहला है भुगतान प्रणाली से वर्जन अर्थात् बैंक खाते तक पहुँच न होना। दूसरे प्रकार का वर्जन औपचारिक ऋण बाजारों से वर्जन होता है, जिससे वर्जित लोगों को अनौपचारिक और शोषण करनेवाले बाजारों में जाना पड़ता है। 1969 में अधिकांश बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में शाखा तंत्र का उल्लेखनीय विस्तार हुआ और कृषि, छोटे उद्योग तथा कारोबार को उधार देने में बढ़ोतरी हुई। अभी हाल में, प्रत्येक व्यक्ति की सुलभ मूल बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच के मूलभूत अधिकार को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केन्द्रित है।

वित्तीय बहिष्करण की माप:

एफआइ की सामान्य माप का आधार बैंक खाता रखनेवाली वयस्क जनसंख्या का प्रतिशत होता है (चार्ट 1)। बचत बैंक खातों की संख्या के आंकड़े और यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक ही खाता रखता है, (यह पूर्वानुमान सही नहीं हो सकता, क्योंकि एक से अधिक खाता रखनेवाले कई व्यक्ति हो सकते हैं) हम पाते हैं कि अखिल भारतीय आधार पर देश की 59 प्रतिशत वयस्क जनसंख्या के पास बैंक खाता है - अर्थात् जनसंख्या का 41 प्रतिशत हिस्सा बैंक सुविधा रहित है।



वित्तीय समावेशन – भारतीय अनुभव उषा थोरात


शहरी केन्द्रों की 60 प्रतिशत व्याप्ति के मुकाबले में ग्रामीण क्षेत्रों में 39 प्रतिशत की व्याप्ति है। उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में बैंक सुविधा से वंचित जनसंख्या ज्यादा है।

ऋण बाजारों से वर्जन और भी ज़्यादा है, क्योंकि वयस्क जनसंख्या के मात्र 14 प्रतिशत लोग ऋण खाता धारी हैं (चार्ट 2)। शहरी केन्द्रों की 14 प्रतिशत व्याप्ति की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की व्याप्ति 9.5 प्रतिशत है। क्षेत्र-वार भिन्नता भी उल्लेखनीय रूप से अधिक है। दक्षिणी क्षेत्र की ऋण-व्याप्ति 25 प्रतिशत पर है तो उत्तरी पूर्व, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में यह व्याप्ति क्रमशः 7, 8, 9 प्रतिशत तक कम है।

ऋण बाजारों से वर्जन दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। देश के 203 मिलियन परिवारों में से, 147 मिलियन परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में हैं - इनमें से 89 मिलियन कृषक परिवार हैं। कृषक परिवारों के 51.4 प्रतिशत को ऋण के औपचारिक या अनौपचारिक स्रोत तक पहुँच नहीं है, जबिक 73 प्रतिशत को औपचारिक स्रोत तक पहुँच नहीं है। कृषीतर और शहरी परिवारों से संबंधित ये आंकडे उपलब्ध नहीं हैं। ऋण के विभिन्न स्रोतों पर विचार करने से विदित होता है कि गैर-संस्थागत स्रोतों का हिस्सा 1971 के 70.8 प्रतिशत से घटकर 2002 में 42.9 प्रतिशत हो गया। परन्तु, 1991 के बाद गैर-संस्थागत स्रोतों का हिस्सा बढ़ गया है। विशेषतः ग्रामीण परिवारों के ऋण में साहूकारों का हिस्सा 1991 के 17.5 प्रतिशत से बढ़कर 2002 में 29.6 प्रतिशत हो गया। शहरी क्षेत्रों में गैर-संस्थागत स्रोतों का हिस्सा 1981 के 40 प्रतिशत से, उल्लेखनीय रूप से घटकर 2002 में लगभग 25 प्रतिशत रह गया।

कौन-कौन बहिष्कृत है?

अधिकतर सीमान्त कृषक, भूमिहीन श्रमिक, अलिखित पट्टेदार, स्विनयोजित व्यक्ति और असंगठित क्षेत्र के उद्यम, शहरी झोपड़पट्टी के निवासी, प्रव्राजी जातीय अल्प-संख्यक और सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूह, विरष्ठ नागरिक और महिलाएँ वित्तीय रूप से बहिष्कृत भाग में आते हैं। यद्यपि बहिष्कृत जन संख्या देश के सभी भागों के आंतर निवासों में है, फिर भी पूर्वोत्तर, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में, वित्तीय रूप से वर्जित अधिकांश लोग रहते हैं।



वित्तीय समावेशन -भारतीय अनुभव

उषा थोरात

वित्तीय बहिष्करण के कारण:

वित्तीय बहिष्करण के कई कारण हैं। सुदूर, पहाड़ी क्षेत्रों और दूर-दूर बसी हुई जनसंख्या वाले क्षेत्रों और अपर्याप्त मूलभूत सुविधावाले क्षेत्रों में भौतिक दूरी स्वयं बाधक होती है। माँग पक्ष में, जानकारी का अभाव, कम आय / आस्ति, सामाजिक बहिष्कार, निरक्षरता आदि अवरोध हैं। आपूर्ति पक्ष में, शाखा से दूरी, शाखा में कार्य का समय, बोझिल प्रलेखीकरण और प्रक्रिया, अनुपयुक्त उत्पाद, भाषा, स्टाफ़ का व्यवहार आदि बहिष्करण के सामान्य कारण होते हैं। ये सभी कारण प्रक्रियात्मक दिक्कतें बढ़ाने के अलावा लेनदेन की लागत बढ़ा देते हैं। दूसरी ओर, अनौपचारिक स्रोतों के ऋण की आसानी से प्राप्ति, उनके महँगे होने पर भी उन्हें लोकप्रिय बना देती है। खासकर प्रव्रजियों और झोपड पट्टी के निवासियों को बैंक खाता खोलने में पहचान और पते का स्वतंत्र प्रलेखी प्रमाण की आवश्यकता महत्वपूर्ण बाधा हो सकती है।

भारतीय रिजार्व बैंक की हाल की पहलें

1969 से 1991 तक की अवधि में भारत में शाखा के विस्तार में भारी वृद्धि हुई, क्योंकि प्रति बैंक शाखा औसत जनसंख्या 64,000 से घटकर 13,711 तक रह गयी। 1991 में उदारीकरण और आर्थिक व्यवस्था में सुधारों के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र अविनियमन, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और पुनर्पू जीकरण तथा विवेकपूर्ण उपायों को अपनाए जाने से बैंकिंग उद्योग बहुत सुदृढ़ और शिक्तपूर्ण हुआ है और वह वित्तीय समावेशन की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने में समर्थ है।

2004-05 के लिए रिजर्व बैंक की वार्षिक नीति वक्तव्य में गवर्नर डॉ. या.वे. रेड्डी के जो विचार थे, मैं उन्हें उद्भृत करती हूँ: ''बैंकों का विस्तार होने के साथ-साथ उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और मालिकाना हक में विविधता आयी है। इससे इनकी दक्षता और प्रणालीगत लचीलेपन दोनों में वृद्धि हुई है। तथापि, बैंकिंग प्रथा की, समाज के बड़े वर्ग को, विशेषतः पेंशनर, स्विनयोजित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को आकर्षित न करने की प्रवृत्ति के कारण बैंकिंग कार्यप्रणाली संबंधी चिन्ताएँ उभरकर सामने आ रही हैं। निस्संदेह वाणिज्यिक प्रतिफल महत्वपूर्ण है, मगर बैंकों को कई रियायतें, विशेषकर अत्यधिक नियंत्रित आधार पर सार्वजिनक जमाराशियाँ प्राप्त करने की, प्रदान की गयी हैं। अतः उन पर यह बाध्यता है कि वे जनता के सभी वर्गों को समान आधार पर बैंकिंग सेवाएँ मुहैया कराएँ।"

इसके अनुसरण में, रिजर्व बैंक ने वित्तीय रूप से बिहिष्कृत जनसंख्या को संरचनात्मक वित्तीय प्रणाली की ओर आकर्षित करने हेतु कई उपाय किये हैं। नवंबर 2005 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे बैंकिंग का एक 'नो-फ्रिल' रूपी बुनियादी खाता उपलब्ध कराएँ, जिसमें या तो न्यूनतम या शून्य शेषराशि रखने की सुविधा हो और साथ ही ऐसे खातों के प्रभार इतने हों जिनसे आबादी के बड़े वर्गों तक उसकी पहुँच विस्तरित हो सके। खुदरे ग्राहकों द्वारा काम में लायी जानेवाली सारी मुद्रित सामग्री को संबंधित प्रांतीय भाषा में उपलब्ध कराना बैंकों के लिए आवश्यक है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले समाज के गरीब तबके के लोगों को बैंकिंग खाता खोलने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े, खाता खोलने के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए' (के वाइसी) की अपेक्षाएं सरल कर दी गई हैं। यह उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी शेष राशि 50,000 रुपये से अधिक (लगभग जीबीपी 600) न हो और एक वर्ष में उन खातों की जमा राशि 1 लाख रुपये से (लगभग जीबीपी 1,200) से अधिक न हो। सरल की गयी केवाइसी प्रणाली में जो ग्राहक केवाइसी की अपेक्षाओं का पूर्ण पालन करते हैं, उनके द्वारा ग्राहक का परिचय देने की अनुमति है।

वित्तीय समावेशन -भारतीय अनुभव

उषा थोरात

बैंकों को सूचित किया गया कि उनकी ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं में रु. 25,000/- तक के सामान्य उद्धेश्यीय क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करें। यह ऋण सुविधा परिक्रामी ऋण (रिवाल्विंग क्रेडिट) के स्वरूप की होगी, जो धारक को मंजूर सीमा तक आहरित करने का अधिकार प्रदान करेगी। घरेलू नकदी-प्रवाह के मूल्यांकन के आधार पर, जमानत या प्रयोजन पर जोर दिये बिना ही ऋण सीमा मंजूर की जाती है। इस सुविधा की ब्याज दर पूर्णतया अविनियमित है।

र. 25,000/- तक के अतिदेय ऋणों के एकमुश्त निपटान की सरलीकृत व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया गया है। बैंकों को विशेष रूप से सूचित किया गया कि जो उधारकर्ता एकमुश्त निपटान योजना के तहत अपने ऋण का निपटान कर चुके हैं, वे नए ऋण के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली का पुनः प्रयोग करने के पात्र होंगे।

जनवरी 2006 में बैंकों को इसकी अनुमित दी गई कि वे व्यापार-मददगार और व्यापार सह-संबंधी (बीसी) प्रितमान (मॉडल) के प्रयोग के माध्यम से वित्तीय और बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए मध्यस्थ के रूप में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), व्यष्टि वित्त संस्थाओं और अन्य नागरिक (सिविल) सोसाइटी संगठनों की सेवाएँ ले सकते हैं। बीसी प्रतिमान बैंकों को बीसी के स्थान पर 'नकदी प्राप्तिनकदी वितरण' का लेनदेन करने और शाखा रहित बैंकिंग करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य उपायों में ऋण-परामर्श देने और वित्तीय शिक्षा के लिए मार्गदर्शक का गठन शामिल है। 18 जून 2007 को रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग और सामान्य व्यक्ति से संबंधित सभी विषयों पर बहु-भाषा वेब साइट आरंभ की गई है।

रणनीतियां और दृष्टिकोण:

राष्ट्रीयकरण के बाद से, क्षेत्रीय स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) नामक मंच कार्य कर रहा है। एसएलबीसी बैंकरों और सरकारी अधिकारियों का समूह है और राज्य में अधिकांश मौजूदगी रखनेवाला बैंक जिसे एसएलबीसी संयोजक बैंक कहा जाता है, संयोजन का कार्य करता है। समिति की बैठक हर तिमाही आयोजित होती है तथा इसमें राज्य में हुई बैंकिंग गतिविधियों का पुनरवलोकन किया जाता है। ज़िला स्तर पर. ज़िला स्तरीय समिति कार्य करती है। ज़िला आयुक्त उसके अध्यक्ष होते हैं और उस ज़िले के लिए नामित अग्रणी बैंक उसका संयोजन करता है। 2006 के प्रारंभ में एसएलबीसी द्वारा 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए हर राज्य का एक ज़िला पहचाना गया। बैंकर समितियों ने सूचना दी है कि अब तक पुदुच्चेरी संघीय प्रदेश और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पंजाब के कुछ ज़िलों में 100 प्रतिशत का वित्तीय समावेशन पूरा कर लिया गया है। रिजार्व बैंक का प्रस्ताव है कि इन जिलों में हुई प्रगति का मुल्यांकन स्वतंत्र बाहरी अभिकरण से किया जाए ताकि इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए सीख मिल सके।

शत प्रतिशत वित्तीय समावेशनार्थ लिए गए जिलों में विभिन्न डाटा आधारों, जैसे मतदाता सूची, सार्वजिनक वितरण प्रणाली या अन्य पारिवारिक डाटा का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण किये गए। इसके माध्यम से बैंक खाता रहित परिवारों की पहचान की गई और उस क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में गाँवों का आबंटन करते हुए यह ज्ञिम्मेदारी सौंपी गयी कि वे बैंक खाता खोलने के इच्छुक सभी लोगों को एक खाता प्रदान करना सुनिश्चित करें। जानकारी देने और प्रचार करने के लिए जन-संचार माध्यमों की सहायता ली गई। बैंक खाता रखने के बारे में बताने के लिए बैंकों ने विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए। बैंक स्टाफ़ या उनके एजेंट ने, जो सामान्यतः स्थानीय एनजीओ या ग्रामीण

वित्तीय समावेशन -भारतीय अनुभव

उषा थोरात


स्वयंसेवक होते हैं, लोगों से उनके घर पर संपर्क किया गया। सरलीकृत केवायसी मानकों की पूर्ति के लिए परिवारों के राशन कार्ड/मतदाता पहचान कार्ड आदि लिए गए। बैंक टीम के साथ जानेवाले फ़ोटोग्राफर द्वारा बैंक खाता खोलने वाले व्यक्तियों के फोटोग्राफ मौके पर लिए गए। अधिकतर राज्यों में वित्तीय समावेशन के कार्यक्रम के प्रारंभ के लिए प्रयुक्त उत्पाद 'नो-फ्रिल्स' खाता है। एक राज्य में कृषक क्रेडिट कार्ड या केसीसी का उपयोग, पहले बचत के बजाए ऋण वितरण सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। अन्य राज्यों में 'नो फ़िल्स' खाते खोलने के तुरंत बाद छोटी रकम की ओवर ड्राफ्ट स्विधा या पूर्व-निर्धारित सीमा तक सामान्य उद्धेश्यीय परिक्रामी ऋण दिया गया। असुरक्षित समूहों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को मानते हुए, कुछ मामलों में, बीमा कंपनियों के साथ मिलकर बैंकों ने जीवन, अशक्तता और स्वास्थ्य कवर प्रदान करते हुए नवोन्वेषी बीमा पालिसियां दी हैं।

स्थानीय स्तर की संस्थाएँ होने के कारण, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वित्तीय समावेशन हासिल करने के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। इन बैंकों का पुनरुत्थान किया जा रहा है और बेहतर अभिशासन हेतु प्रोत्साहित करके इन्हें सुदृढ़ किया जा रहा है। स्थानीय संस्थाएँ होने से वे वित्तीय समावेशन पूरा करने के लिए आदर्शतः उपयुक्त हैं।

एफआइ के लिए सफल भुगतान प्रणाली की भूमिका पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता। विशेषतः देश के अपेक्षाकृत कम विकसित भागों में भुगतान प्रणाली में सुधार लाने के नए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

नो-फ्रिल्स खातों में भारी वृद्धि:

मार्च 2006 और 2007 के बीच 6 मिलियन नए 'नो फ़िल्स' खाते खोले गये हैं, जो इस दिशा में किये



गए प्रयास का परिणाम है। अपने विस्तृत शाखा तंत्र (45,000 ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाएँ) को ध्यान में रखकर, सरकारी क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मात्र अपनी वर्तमान क्षमता की सहायता से प्रयासों को बढ़ा सके हैं। ये बैंक उद्यम और संवृद्धि को आसान बनानेवाले समग्र परिवेश में एफआइ को कारोबार का बहुत बड़ा अवसर मानते हैं। यह उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का लाभ प्रदान करता है और वे अपनी संवृद्धि हेतु व्यवसाय में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं।

मध्यस्थों का उपयोग:

90 के दशक के प्रारंभ से औपचारिक बैंकिंग सेवाओं का लाभ सफलतापूर्वक पहुँचाने का तरीका है, बैंकों के साथ स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को मिलाकर सेवा देना। सामान्यतः एसएचजी महिलाओं का समूह होता है। वे मिलकर अपनी बचत को इकट्ठा करती हैं और सदस्यों को ऋण देती हैं। अकसर एक एनजीओ होता है, जो इन समूहों को बढ़ावा देकर विकसित करता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने समूह-गठन को समर्थित करने, बैंकों से उन्हें जोड़ने एवं श्रेष्ठ प्रथाओं को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय भूमिका निभायी है। समूह के सदस्यों की गारंटी पर एसएचजी को ऋण दिया जाता

वित्तीय समावेशन -भारतीय अनुभव

उषा थोरात

है। वसूली का अनुभव बहुत अच्छा रहा है और वर्तमान में करीब 40 मिलियन परिवारों को उनके सदस्यों सहित मिलाते हुए 2.6 मिलियन एसएचजी विद्यमान हैं। उन समूहों को बैंक उचित दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। परन्तु, ऋणों का आकार बहुत छोटा होता है और प्रायः उपभोग की जरूरत को पूरा करने या बहुत छोटे कारोबार के काम में लाया जाता है। कुछ एसएचजी में कृषि कार्यों और अन्य जीविकोपार्जन के लिए ऋण दिया जाता है, जो एसएचजी द्वारा की गयी जमा का कई गुना होता है। अधिकतर एसएचजी सरकारी क्षेत्र के बैंकों से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उन बैंकों की मौजूदगी प्रमुख है।

विदेशी बैंक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने इस पहुँच के विषय में छोटे मूल्य के खुदरे ऋण देने हेत् अपेक्षाकृत कम लागतवाली गैर-बैंकिंग कंपनियों का गठन कर या उन व्यष्टि वित्तीय संस्थाओं से, जो अपेक्षाकृत उच्चतर जोखिमवाले जनसंख्या-खंड को वित्तीय सेवाएँ देती हैं, साझेदारी कर प्रवेश-मार्ग बनाया है। व्यष्टि वित्त ने उन संपूर्ण उधारकर्ताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिन्हें औपचारिक वित्तीय क्षेत्र द्वारा पहले कम सुविधाएं प्रदान की गई थीं। एमएफ ने यह भी दिखाया है कि इस क्षेत्र को दिए गए ऋण कैसे अर्थक्षम किये जा सकते हैं। परन्तु, लगायी जानेवाली ब्याज दर बहुत अधिक, विशेषतः 24 से 30 प्रतिशत, होती है। इसका मुख्य कारण है औसतन बहुत ही कम राशि के ऋण के लेनदेन की लागत का अधिक होना। अनौपचारिक क्षेत्र से तुलना करने पर शायद ये दरें कम हैं, पर सवाल यह है कि क्या ये दरें दे सकने लायक हैं। इसका मतलब है कि क्या ये उधारकर्ताओं के पास कोई अधिशेष राशि रहने देगी और उनके जीवन स्तर को ऊँचा करेगी।

वाणिज्य बैंकों के लिए निधीयन की लागत में कमी, आकार और मात्रा का लाभ प्रतिसहायता का अवसर देता है। एमएफआई से तुलना करने पर उन बैंकों की ब्याज दरें अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हैं, पर निर्णायक दौर की समस्याओं से निपटने में वे उतने सफल नहीं हुए हैं। अब तक बैंकों द्वारा एसएचजी और एमएफआई के साथ मिलकर उचित लागत पर निधि प्रदान करना अधिक अनुकुलतम दृष्टिकोण माना गया है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बैंकों को डाक घर, सहकारी समिति, गैर-सरकारी संगठनों के रूप में गठित न्यास, सोसाइटी को इनकी अच्छी तरह से जांच-पडताल करने के बाद शाखा-रहित बैंकिंग करने के लिए व्यापार मददगार (एजेंटों) के रूप में प्रयुक्त करने की अनुमित दी गयी है, जो हाल में किया गया महत्वपूर्ण विनियामक उपाय है। समादृत स्थानीय संगठनों के उपयोग और बैंक खातों के लेनदेनों की ट्रेकिंग करने हेत् आइटी समाधानों के प्रयोग द्वारा एजेन्सी जोखिम को कम करने का प्रयत्न किया गया है। कई बैंक अपनी पहुँच बढाने और कम लागत पर दहलीज पर (डोअरस्टेप) बैंक सेवा देने के लिए इस प्रतिमान के उपयोग की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। लागतों को पूरा करने के लिए ब्याज दर अथवा सेवा प्रभार लगाते समय इस प्रतिमान की अर्थक्षमता तथा आकार में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होगी।

वित्तीय समावेशन के लिए आइटी समाधान:

दहलीज पर बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने में आइटी समाधानों का उपयोग एफआइ पहलों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण विकासात्मक भूमिका निभाएगा। बायो मैट्रिक पहचान सहित बैंक खाता खोलने के लिए स्मार्ट कार्ड के उपयोग की प्रायोगिक परियोजनाएँ शुरू की गयी हैं। मोबाइल या हस्तधारित संपर्क साधनों के साथ जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वास्तविक समयाधार पर बैंक की पंजियों में लेनदेन दर्ज हो गए हैं।

वित्तीय समावेशन -भारतीय अनुभव

उषा थोरात

कुछ राज्य की सरकारें सामाजिक सुरक्षा भुगतान एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भुगतान उन स्मार्ट कार्डों के द्वारा किया करती हैं। कम लागत के प्रेषणों और बीमा जैसी अन्य वित्तीय सेवाएँ देने के लिए इसी वितरण माध्यम का उपयोग किया जा सकता है। आइटी का उपयोग बैंकों को कई मिलियन परिवारों के ढ़ेर सारे लेनदेनों का हिसाब रखने, साख-मापन, साख-रिकार्ड और अनुवर्ती कार्रवाई को नियंत्रित करने में समर्थ बनाता है।

सरकार की भूमिका

एफआइ को सुगम बनाने में राज्य सरकारें अग्रणी भूमिका अदा कर सकती हैं। खाता खोलने हेतु कार्यालयीन पहचान पत्र जारी करना, उक्त संपूर्ण कार्य में जागरूकता पैदा करना और इसके लिए ज़िला व ब्लाक स्तर के अधिकारियों को सम्मिलित कराना, प्रारंभ की गई नई योजनाओं के लिए कार्ड और अन्य साधनों की लागत वहन करना आदि कुछ ऐसे कार्यकलाप हैं जिनमें राज्य और जिला प्रशासन जुड़े हुए हैं।

इंडिया पोस्ट भी अपने कार्यकलापों के विविधीकरण पर विचार कर रहे हैं। वे डाक घरों के विस्तृत नेटवर्क, स्थानीय लोगों के बारे में डािकये की गहरी जानकारी और लोगों का उस पर अटूट विश्वास आदि का लाभ उठाना चाहते हैं। शाखा रहित बैंकिंग के लिए एजेंट के रूप में इंडिया पोस्ट के उपयोग हेतु बैंक उनसे करार कर रहे हैं।

वे कार्य जो प्रगति पर हैं

वित्त मंत्री ने अपने 2007-08 के बजट में एफआइ के लिए दो निधियों के गठन की घोषणा की: पहली निधि का नाम है विकासात्मक और संवर्धनात्मक उपायों के लिए वित्तीय समावेशन निधि और दूसरी का नाम है वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि, जो प्रौद्योगिकी को अपनाने की लागत चुकाने के लिए होगी। प्रत्येक निधि 125 मिलियन अमरीकी डालर की है। इन निधियों का ब्योरेवार विषय क्षेत्र तैयार किया जा रहा है। एफ़आइ को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान में की जा रही कुछ पहलें इस प्रकार हैं : प्रायोगिक आधार पर वित्तीय साक्षरता केन्द्रों का गठन और साख परामर्श देना. राष्टीय वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू करना, अनौपचारिक स्रोतों से उचित कानून के द्वारा उपयुक्त सुरक्षा सहित संबंध स्थापित करना, आइटी समाधानों के लिए उद्योगवार मानक विकसित करना, कम लागत के प्रेषण उत्पादों को स्गम बनाना।